2009:CGHC:9515
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 36/2009

अपीलकर्ता प्रदीप मंडावी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए– दिनांक 13.11.2009

सही/–

(प्रितिन्कर दिवाकर)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:9515
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र. 36/2009

अपीलकर्ता प्रदीप मंडावी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

श्री विष्णु कोष्टा अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से।

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

निर्णय

(13.11.2009)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील दिनांक 6.1.2009 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), भानुप्रतापपुर द्वारा सत्र विचारण क्र. 145/2007 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध कर सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1000/- (एक हजार रुपये) के जुर्माना से दंडित किया गया एवं जुर्माने के व्यतिक्रम करने की दशा में अपीलकर्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये का आदेश दिया गया।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री (अ.सा.-2) जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, ने दिनांक 5.10.2006 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-3) दर्ज कराई। जिसमें उसने यह अभिकथन किया कि मई 2006 के महीने में लगभग रात 10 बजे, जब वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर से टीवी देखने के पश्चात लौट रही थी, तब वह वहाँ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे जोहन के कोठर में ले गया जो की अभियोक्त्री के घर के पास स्थित है, और उसकी प्रतिरोध के बावजूद, उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती मैथुन किया। यह अभिकथित है कि बलात्संग करने के पश्चात, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का आश्वासन दिया था और कहा था कि उसे कोई समस्या नहीं होगी, और यदि कोई समस्या आई तो वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। यह भी कथन किया गया है कि जब जून 2006 में उसका मासिक धर्म नहीं हुआ, तो वह अस्पताल गई जहाँ नर्स ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। गर्भावस्था का तथ्य अभियोक्त्री द्वारा अपीलकर्ता को बताया गया और फिर आरोप है कि उसने उसे चाकू से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात, अभियोक्त्री अपने घर लौट गई। यह कथन किया गया है कि कुछ समय बाद अभियोक्त्री की मौसी मालती (अ.सा.-9) उसके पास आईं और कुछ जड़ी-बूटियाँ दीं, यह कहते हुए कि ये जड़ी-बूटियाँ अभियुक्त/अपीलकर्ता ने भेजी है। यह कथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने यह तथ्य अपनी माँ देवकी बाई

(अ.सा.-3) को बताया। दिनांक 30.9.2006 को गांव में एक बैठक बुलाई गई, लेकिन अपीलकर्ता उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए बैठक दिनांक 1.10.2006 को पुनः नियत की गई। उस दिन गांव की बैठक में अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ अपने संबंधों और उसके साथ हुई घटना से इनकार किया। इस प्रकार पंचायत बैठक कोई निर्णय नहीं ले सकी और अंततः दिनांक 5.10.2006 को अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई।

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलकर्ता का बयान भी अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा मामले में झूठा आलिप्तीकरण का अभिवचन किया। मामले को साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने गांव के कोटवार कनवल साय (ब.सा.-1) को भी गवाह के रूप में परीक्षित कराया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया। अतः यह अपील।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री सहित आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में झूठा फ़साने का है, और यदि ऐसा नहीं है, तो यह स्पष्टतः सहमति का मामला है जहाँ अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी थी। उन्होंने यह निवेदन किया कि अभियोक्त्री के कथन से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता की पकड़ से खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने अभियोक्त्री की मुख्यपरीक्षण के कंडिका 12 का उल्लेख किया। इसका शब्दानुवाद इस प्रकार है:

> "अभियुक्त उसे कोठर में ले गया, उसका हाथ पकड़ लिया। अभियुक्त उसके ऊपर लेट गया, वह उसके ऊपर सोया जिससे वह गर्भवती हो गई और सोने के बाद उसने उसके स्तन दबाए। इसके बाद वह वापस चली गई। कपड़े उतारने के बाद उसने अपना लिंग उसके जननांग में डाला।"

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह कथन स्पष्ट करता है कि अभियोक्त्री ने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री ने कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, जो स्वयं यह दर्शाता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता के पास कोई हथियार नहीं था जिससे कहा जा सके की अभियोक्त्री भयभीत थी, जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता ने कोई हमला

नहीं किया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 21 का भी उल्लेख किया। शब्दानुवाद इस प्रकार है:

> वह अभियुक्त के साथ नौ बार संबंध रख चुकी है। वह संबंधों के दिन, तारीखें और महीने नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि संबंध नौ अवसरों पर हुए थे, जो धान की कटाई के समय चार-पांच दिनों के अंतराल में थे। यह भी सही है कि उसके बाद कोई संबंध नहीं था। यह कहना सही है कि उक्त संबंध अभियुक्त के साथ उसकी सहमति से था। यह कहना गलत है कि संबंध उसकी सहमति से था। उसने कहा कि उक्त संबंध अभियुक्त के जबरदस्ती करने के कारण था। यह कहना सही है कि नौ बार संबंध उसकी सहमति से था।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत क्या कि अभियोक्त्री के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह सहमत पक्षकार थी और उसने अपीलकर्ता को अनेक अवसरों पर, यहाँ तक कि गर्भावस्था के बारे में जानने के पश्चात भी मैथुन की अनुमति दी। उनका यह भी कथन है कि अभियोक्त्री के आचरण से यह स्पष्ट है कि वह सहमत पक्षकार थी और वह भी शारीरिक संबंध का आनंद ले रही थी। उन्होंने अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षण के कंडिका 23 का भी उल्लेख किया है, जिसका प्रासंगिक भाग का शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है :

> जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ संबंध प्रारम्भ किया, तब उसने अपने माता-पिता को इसकी सूचना नहीं दी थी। नौ अवसरों पर संबंध बनाने के उपरांत ही उसने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी थी। उक्त घटना के तीन से चार माह पश्चात् उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य के कंडिका 29 का भी उल्लेख किया गया, जिसका प्रासंगिक भाग का शब्दानुवाद इस प्रकार है :

> यह कहना सही है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट इस कारण दर्ज कराई क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी। रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि गाँव में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यदि अभियुक्त ने उसकी बात मान ली होती, तो वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। यदि वह गर्भवती न हुई होती, तो रिपोर्ट दर्ज न कराई जाती।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह कथन है कि अभियोक्त्री के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि वह सहमत पक्षकार थी और इसलिए अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध गठित नहीं होता। इसके अतिरिक्त उनका यह कथन है कि आक्षेपित निर्णय के कंडिका 20 में अभियोक्त्री की आयु घटना की तिथि पर 16 वर्ष से अधिक बताई गई है, और यह विवादित नहीं है कि घटना की तिथि पर वह वयस्क थी। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि अभियोक्त्री को जून 2006 में गर्भावस्था के विषय में जानकारी हो गई थी, तथापि उसने 5 अक्टूबर 2006 तक रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रतीक्षा की। उनका कहना है कि घटना मई 2006 में घटित हुई थी, जबकि

रिपोर्ट दिनांक 5.10.2006 को दर्ज कराई गई और इस प्रकार रिपोर्ट दर्ज कराने में अभियोक्त्री की ओर से अत्यधिक विलम्ब हुआ है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **प्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2007 ए.आई.आर. एस.सी.डबल्यू. 5532)** का हवाला दिया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि :

> यदि एक पूर्णवयस्क लड़की विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के कार्य के लिए सहमति देती है और गर्भवती होने तक इस प्रकार की गतिविधि में लगी रहती है, तो यह उसके पक्ष में एक लैंगिक स्वैरता है न कि तथ्य के भ्रम से उत्प्रेरित कोई कार्य। ऐसे मामले में धारा 90 भा.द.स का सहारा लेकर लड़की के कार्य को क्षमा प्रदान कर, और दूसरे पक्ष पर आपराधिक दायित्व बद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि न्यायालय को आश्वासित किया जा सके कि प्रारंभ से ही अभियुक्त का वास्तव में उससे विवाह करने का कोई इरादा नहीं था।

उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **जमनालाल उर्फ़ चिमन धिमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में पारित निर्णय का हवाला दिया, जिसे **2002 [एफ21] एम.पी.एल.जे 169** में संप्रकाशित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "अभियोक्त्री, जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी, घटना के दिन और उसके बाद दो-तीन बार अभियुक्त के साथ मैथुन में लिप्त हुई - पांच महीने की गर्भावस्था का पता चलने के बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R) दर्ज की गई, उसके पांच महीने तक चुप रहने से यह उपदर्शित होता है कि वह फ़्लैग्रेंट डिलिक्टो (flagrante delicto) (अभियुक्त के साथ अपराध करते हुए पकड़ी गई) थी - दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता को अपास्त किया जाता है।"

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने अपील के विरुद्ध दिए गए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री ने अपने मुख्यपरीक्षण के कंडिका 2 में अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री को किस प्रकार बलात्संग के अध्याधीन किया गया, इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क किया की अभियोक्त्री की माता-पिता, देवकीबाई (अ.सा.-3) और बीरसुराम (अ.सा.-4) ने भी अभियोक्त्री के कथन का समर्थन किया कि जब वह गर्भवती हुई, तो उसने उन्हें सूचित किया कि उसे अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग के अध्याधीन किया गया था और इसके बाद पंचायत की बैठक बुलाई गई जिसमें अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री और स्वयं के बीच शारीरिक संबंध होने से इनकार किया। प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त ने गर्भपात के उद्देश्य से मालती मंडावी (अ.सा.-9) के माध्यम से कुछ जड़ी-बूटियां भी प्रदान कीं, जो यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती मैथुन किया। उन्होंने यह तर्क किया की बचावपक्ष मामले में यह तथ्य अभिलेख पर लाने में विफल रहा है, कि क्यों अभियुक्त/अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फसाया गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच न्यायालय के निर्णय, **येडला श्रीनिवास राव**

बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एस.सी.सी. 615 का हवाला दिया और कहा कि वर्तमान मामला उक्त निर्णय से पूरी तरह समान है।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य निर्विवादित हैं:

I. यह की घटना के दिन अभियोक्त्री वयस्क थी।

II. पहली बार मई 2006 में अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का बलात्संग किया गया था।

III. जून 2006 में, अभियोक्त्री को अपनी गर्भावस्था के बारे में ज्ञात हुआ।

IV. 13 सितंबर 2006 को पहली बार पंचायत बैठक बुलाई गई, जिसमें अपीलकर्ता अनुपस्थित रहा। तथापि, उसने दूसरी बैठक में भाग लिया और अपने तथा अभियोक्त्री के बीच शारीरिक संबंध होने से इनकार किया।

V. यह मामला दिनांक 5.10.2006 को पुलिस को सूचित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोक्त्री के कथन का समर्थन या विरोध करने वाले अन्य साक्ष्यों पर चर्चा करने के पूर्व, अभियोक्त्री के साक्ष्य की गहन जांच को स्वयं एक सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है। अपनी मुख्यपरीक्षण के कंडिका 2 में उसने बताया है कि मई के महीने में रात के समय वह अभियुक्त के घर टीवी देखने गई थी। लगभग 10 बजे रात को जब वह अकेली वापस लौट रही थी, तब अभियुक्त उसका हाथ पकड़कर उसे जोहन के कोठर में ले गया, उसके मुँह को कपड़े से बंद किया और उसके विरोध करने के बावजूद उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती मैथुन किया। बाद में अभियुक्त ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा और किसी भी समस्या की स्थिति में वह जिम्मेदारी लेगा। उसने उसे यह घटना के विषय में किसी को बताने से मना किया। अपनी मुख्यपरीक्षण के कंडिका 3 में अभियोक्त्री ने आगे बताया कि जब जून के महीने में उसकी माहवारी नहीं हुई, तो वह अमापारा के अस्पताल गई और नर्स को यह बात बताई, जिस पर नर्स ने कहा कि वह गर्भवती है। जब उसने गर्भावस्था की बात अपीलकर्ता को बताई, तो उसने उसे धमकी दी कि वह चाकू से अभियोक्त्री के पेट में वार करके उसे खत्म कर देगा, और फिर वह घर लौट आई। अपनी गवाही के कंडिका 12 में उसने बताया कि आरोपी उसे कोठर में ले गया, उसका हाथ पकड़ा, उसके ऊपर लेट गया, जिससे वह गर्भवती हो गई, और सोने के बाद उसने उसके स्तन दबाए। तत्पश्चात वह वापस आई। कपड़े उतारने के बाद उसने अपना लिंग उसके जननांग में डाला। अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 20 में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि धान की कटाई के समय उसके और अभियुक्त के बीच कोई और संबंध नहीं था, उसने कहा कि वह संबंध जारी था। इसी प्रकार, प्रतिपरीक्षण के कंडिका 23 में उसने कहा कि जब उसने पहली बार अभियुक्त के साथ संबंध बनाए, तो उसने अपने माता-पिता को नहीं बताया। उसने अपने माता-पिता को नौ बार संबंध बनाने के पश्चात बताया। घटना के तीन-चार महीने बाद

उसने अपने माता-पिता को बताया। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 29 में उसने कहा कि यह सही है कि उसने रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी। उसने रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई क्योंकि गांव में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यदि अभियुक्त उसकी बात मान लेता, तो वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। यदि वह गर्भवती नहीं होती, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया होता।

11. इस प्रकार अभियोक्त्री की न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन से स्पष्ट है कि वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के कृत्य के लिए सहमत पक्षकार थी और मैथुन के समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। दूसरी बात, अभियोक्त्री के पास इस घटना को अपने रिश्तेदारों को बताने या पुलिस को रिपोर्ट करने का पर्याप्त अवसर था। गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद भी उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और पंचायत के निर्णय का इंतजार किया, और जब उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया तब उसने रिपोर्ट दर्ज कराने का अंतिम उपाय सोचा। यदि अभियोक्त्री प्रथम मैथुन के बाद तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकी जो मई 2006 में हुआ था, तो वह जून 2006 में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती थी क्योंकि उसके अपने कथन के अनुसार जब उसकी मासिक धर्म बंद हुई और नर्स द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि हुई, तब वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के पास गई और उसे गर्भावस्था के बारे में सूचित किया, जिस पर उसे हत्या की धमकी दी गई, लेकिन तब भी रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय वह अपने घर वापस चली गई। इसके अतिरिक्त, उसने घटना की शुरुआत में अपने माता-पिता को घटना के बारे में नहीं बताया, बल्कि पहली बार तब बताया जब अपीलकर्ता ने गर्भावस्था की जिम्मेदारी से इनकार किया और चाकू के बल पर उसकी जान लेने की धमकी दी। उसकी समग्र आचरण को देखते हुए केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे, अन्यथा नहीं। राज्य के अधिवक्ता द्वारा **येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (पूर्वीतु)** मामले में उद्धृत निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है और इसलिए अभियोजन के लिए कोई मददगार नहीं हो सकता क्योंकि उस मामले की तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि अभियुक्त दिन के समय नियमित रूप से अभियोक्त्री से मिलने आता था और लगातार उससे मैथुन की अनुमति मांगता था, लेकिन अभियोक्त्री उसे बार-बार मना करती रही। तत्पश्चात, एक दिन वह अभियोक्त्री के बहन के घर गया जहाँ अभियोक्त्री अकेले रहती थी, दरवाजे बंद कर जबरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाया, बिना उसकी सहमति और उसकी इच्छा के विरुद्ध, और फिर संबंध तब तक चलते रहे जब तक वह गर्भवती नहीं हो गई। परंतु इस मामले में अभियुक्त की ओर से पहले कोई नियमित आग्रह या जोर नहीं था कि अभियोक्त्री उसे मैथुन की अनुमति दे, और फिर उसकी ओर से अस्वीकृति भी नहीं थी। इसके विपरीत, पहली घटना के बाद, अभियोक्त्री के अपने कथन के अनुसार, उसने अभियुक्त के साथ नौ बार शारीरिक संबंध बनाए, और यह अभिकथन नहीं है कि किसी भी समय अभियुक्त ने उससे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। **येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (पूर्वीतु)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि एक पूर्णवयस्क लड़की विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के कार्य के लिए सहमति देती है और गर्भवती होने तक इस प्रकार की गतिविधि में लगी रहती है, तो यह उसके पक्ष में एक लैंगिक स्वैरता है न कि तथ्य के भ्रम से उत्प्रेरित कोई कृत्य। धारा 90 भारतीय दंड संहिता आह्वान नहीं की जा सकती जब तक कि न्यायालय यह सुनिश्चित न कर ले कि शुरू से ही आरोपी का उससे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए यह प्रत्येक मामले पर निर्भर करता है कि विशेष मामले में क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि यदि पूरी तरह से परिपक्व लड़की सहमति देती है तो मामला अलग है, लेकिन यदि लड़की बहुत कम आयु की है और तीन महीने मनाने के पश्चात शादी के वादे पर सहमति देती है, जिसे अभियुक्त शुरुवात से पूरा करने का इरादा नहीं रखता, जो अभियुक्त के आचरण से स्पष्ट होता है, तो हमारी राय में धारा 90 का आह्वान किया जा सकता है। उस मामले में यह भी कहा गया है कि स्वैच्छिक सहमति क्या है और क्या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

परिसाक्ष्य का विवेचन करने के लिए, एक व्यक्ति को लड़की की आयु, उसकी शिक्षा और समाज में उसकी स्थिति जैसे कारकों को देखना होता है, और इसी प्रकार लड़के की सामाजिक स्थिति को भी देखना होता है। यदि उपस्थित परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि केवल अभियुक्त ही नहीं बल्कि अभियोक्त्री भी समान रूप से इच्छुक थी, तो उस स्थिति में अपराध को माफ़ किया जाता है। इसके अलावा, यह घटना उस समय की आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया थी जब वह टीवी देखने के पश्चात उसके घर से लौट रही थी, और यह घटना पहली बार हुई थी, जिसके बाद यह जारी रही जब तक कि अपीलकर्ता ने उसकी गर्भावस्था की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर दिया। अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, संबंधित समय पर उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, जैसा कि कोटवारी रजिस्टर (प्रदर्श डी-4) से स्पष्ट है और इस तथ्य का समर्थन अभियोक्त्री की माता देवकी बाई (अ.सा.- 3) द्वारा भी किया गया है। इसके अलावा, अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के अलावा अभियोक्त्री भी बिना किसी विरोध के शारीरिक संबंधों का आनंद ले रही थी जब तक कि अपीलकर्ता ने उसकी गर्भावस्था की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया। अतः अभियोक्त्री के समग्र आचरण के आधार पर अपीलकर्ता के कृत्य को माफ़ किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री को देखते हुए, एफआईआर दर्ज करने में हुई अनिर्दिष्ट अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अभियोक्त्री के समग्र आचरण को, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, धारा 376 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 6.1.2009 का आक्षेपित निर्णय, जिसके अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषसिद्ध व दंडित किया गया था, अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे रिहा कर दिया जाए।

सही/–

(प्रितिन्कर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur